

REGISTRATON & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT



Fee Sr. No. : 2013000205 Dated : 05/02/2013
Presenter Name : E.O. NAGAR PALIKA KUMHER Face Value : 55900
Presenter Address : KUMHER
Document Type : Lease deed for Local bodies (Patta)
Claimant Name : SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN SANTHAN SEC. HARIOM, KUMHER
Document S.No. : 2013000387 Stamp Value : 0

Ordinary Registration Fee	: 560	Commission Fee	: 0
Conv/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 2800
Surcharge on Stamp Duty	: 280		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 3940

Amount Rs. Three Thousand Nine Hundred Forty only

Cash 


Sub Registrar KUMHER


कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कुम्हेर (भरतपुर)

(नगर निकाय का नाम)

क्रमांक

दिनांक



राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष.....के माह.....के

इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री (जिनकी इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे। के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना.....राजस्व ग्राम.....के खसरा संख्या.....क्षेत्रफल.....में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूप से वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है। और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये.....अंकेन.....करेगा परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण शहरी-जमाबंदी या भूमि का किराया) की राशि जमा करे सकेगा जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है को सम्मिलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल.....जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बद्ध दी जावें लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रविंसहित करेगा जो सभी प्रभारों सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये ज़िम्मेदार नहीं होगा।
- इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी. एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत के ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।

कार्य के नाम
 राजस्व प्रान्त
 खसरा नम्बर 12122/213
 योजना का नाम
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर.....

प्लॉट नं. 46 जी. 2 पी. 2
 कोई हो सीमा उत्तर
 23-8-1973 मन्विपु सलाह है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरोकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिशित स्यानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.....के माह.....के.....वें
 दिन श्री.....
ने निम्न की उपस्थिति में
 (स्यान) हस्ताक्षर किये -

नगरनिकाय - प्रथम पक्ष
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1 नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

.....
 साक्षी

2 नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

.....
 साक्षी

आज सन् 20.....के माह.....के.....वें
 दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री.....

 लीजधारक द्वारा कार्यालय.....में हस्ताक्षर
 किये गये -

लीज धारक - द्वितीय पक्ष

1 साक्षी :-
 नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

.....
 साक्षी

2 नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

.....
 साक्षी

.....
 अध्यक्ष

नगरपालिका कुम्भार (भरतपुर)

.....
 अधिशाषी अधिकारी
 नगरपालिका कुम्भार (भरतपुर)

नकशा भूमि रूपान्तरण पट्टा हेतु सचिव श्री हरिद्वीप वीरवनीसिंह शिखण
 प्रशिक्षण संस्थान कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर राज.

पैमाना
 1" = 20 मी.



अधिकारी अधिकारी
 पञ्चपात्रिका
 दिनांक 06/10

नोट - नुर्ब रंग से सोलभित भूमि खण्ड पट्टा हेतु दरशाये गाये है / 5590 वर्ग मी.

हस्ता. हरि
 सचिव

29-01-2013
 DRAWN BY

श्री रतनसिंह शिखण एवं प्रशिक्षण संस्थान
 कुम्हेर (नरतपुर)

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

Kumar

उत्तर श्री/श्रीमती/शुश्री (Evident)
1-E.O. NAGAR PALIKA KUMHER/A
Age:0, Caste-
Ocu.-G
R/O-KUMHER

(And Claimant)
1-SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN
SANTHAN SEC. HARIOM/AMAR SINGH
Age:0, Caste-JAT
Ocu.-G
R/O-KUMHER

ने लेखपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पट्ट सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी ₹0 55900/- पूर्व में/मेरे
समझ/मेरे से ₹0 55000/- पूर्व में
समझ समझ प्राप्त करना स्वीकार किया।

सकत निष्पादन कर्ता को पहचान
1. श्री/श्रीमती/शुश्री KRISHAN KUMAR
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GAVIND SINGH उम्र 0 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER

2. श्री/श्रीमती/शुश्री KHUMENDRA GARG
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BEEETARAM GARG उम्र 0 वर्ष
जाति VAISHY व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समझ लिये गये हैं।


(2013000397)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक, KUMHER

9/2



Kumar



आज दिनांक 5 मास February सन् 2013 को 16:29 बजे
श्री / श्रीमती / सश्री E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पत्र / पत्री / पत्नी श्री A
सम 0 तम जाति _____ व्यवसाय G
निवासी KUMHER
समाप्त वरतादेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।


Yam...

प्रमाणित प्रमाणित
(2013000387) वरतादेज सम पंजीयक, KUMHER
Patta deed for local bodies (Patta)


पत्री नं 2013000205 दिनांक 05/02/2013
पंजीयन शुल्क रु 500 /-
प्रतालाप शुल्क रु 300 /-
पुस्तकन शुल्क रु 0 /-
अन्य शुल्क रु 280 /-
कमी रटाम्य शुल्क रु 2600 /-
कुल योग रु 3940 /-

(2013000387) सम पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय-पत्र
की मालिकता रुपये 55900
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 2800 पर कमी पंजीयन शुल्क
रुपये 500 कुल रूपये 3940
जरिये रसीद संख्या 2013000205 दिनांक 05/02/2013
में जमा किया गया है।
अतः दस्तावेज को रूपये 2800
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।


(2013000387) जय पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 05/02/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 405
में पृष्ठ संख्या 153 रजम संख्या 2013000320 पर
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1010
के पृष्ठ संख्या 13 से 14 पर
नया किया गया।


(2013000387) जय पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))